झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

राँची, दिनांक-14/12/2022

संख्या-5/आरोप-1-1/2020-18507 (HRMS)/ चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जागो महतो, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास योजना के आवंटन में अनियमितता बरतने, गलत/अयोग्य लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ देने एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास आवंटन हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची का सत्यापन लापरवाहीपूर्वक करने संबंधी आरोप, जैसा कि विभाग द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री महतो के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महतो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री महतो द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री जागो महतो, झा0प्र0से0 एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JAGO MAHTO 110011163087	श्री जागो महतो, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

,,

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

ज्ञापांक-5/आरोप-1-1/2020-18507 (HRMS)/राँची

दिनांक-14/12/2022

प्रतिलिपि- अनुलग्नकों सहित श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/श्री जागो महतो, झा0प्र0से0, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खँूटपानी, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख साॅफ्ट काॅपी के साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आरोप-1-1/2020-18507 (HRMS)/राँची दिनांक-14/12/2022

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, रामगढ़/उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से अनुरोध है कि इस संकल्प का तामिला श्री जागो महतो, झा0प्र0से0, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खँूटपानी, पश्चिमी सिंहभूम को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

Prepared By:- MANISHA KUMARI - (110073336087)